न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

उनवान :– राजस्व वाद संख्या 163/2016

1. गुरनाम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी 23 एम एल तह. व जिला श्रीगंगानगर।
2. जगपाल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी 23 एम एल तह. व जिला श्रीगंगानगर ।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. महेन्द्र सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जट सिख निवासी 23 एम एल तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर

– – प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री बलराम सुथार – – वादीगण
2. श्री उमेश कुमार – – प्रतिवादी– 1

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–09.01.2020

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण चक 23 एम एल तह0 श्री गंगानगर के स्थायी निवासी है तथा काश्तकार पेशा है, वादीगण का रजिस्टर्ड पता जो कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 06 नियम 4(क) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित है, वही है जो शीर्षक वाद–पत्र में अंकित है, बाद दो प्रतियों में पेश है। वादीगण के दादा स्व0 गुरबचन सिंह पुत्र नारायण सिंह के नाम से चक 23 एम एल तह0 व जिला श्री गंगानगर के खाता सं0 23/71, मु0 न0 19,23,29 की कुल 7.978 हैक्टर कृषि भूमि खातेदारी दर्ज कागजातरात थी जिसकी जमाबंदी की नकल शामिल है। वादीगण के दादा गुरबचन सिंह का देहांत हो चुका है। वादीगण तथा उनके पिता प्रतिवादी सं0 1 का संयुक्त हिन्दू खानदान होने से वादीगण के दादा से विरासतन प्राप्त हुई भूमि तथा उसकी आय से व वादीगण के द्वारा प्रतिवादी सं0 1 के साथ मिलकर मेहनत कर अर्जित आय से भूमि प्रतिवादी सं0 1 जो कि परिवार का मुखिया था के नाम से भूमि बनायी गई, इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज समस्त निम्नलिखित कृषि भूमि जद्दी जायदाद होने से वादीगण का इसमें प्रतिवादी सं0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा बनता है। चक 23 एम एल तह0 श्रीगंगानगर के

खाता सं0 81/92 मान0 22,30,51 की कुल 12.713 है0 में से 3.858 हैक्टर, चक 23 एम एल तह0 श्री गगानगर के खाता सं0 90/91 मु.न. 29, 30, 52 की कुल 3.858 है। चक 23 एम एल तह. श्रीगंगानगर के खाता सं0 82/23 70 न0 19, 29 की कुल 4.818 है0 में से निस्फ हिस्सा अर्थात् 2.409 है। चक 23 एम एल तह0 श्रीगंगानगर के खाता सं0 83/54, मु.नं. न0 19, 54, 55, 56 की कुल 1.617 है0 में से 0.695 हैक्टर। उपरोक्त सभी जमाबंदीयों की नकलें शामिल है। इस प्रकार से प्रतिवादी सं0 1 के नाम से कुल 10.818 हैक. जो कि जद्दी जायदाद होने से वादीगण का उक्त अराजी में 2/3 हिस्सा बनता है तथा इसी अनुसार उनका कब्जा चला आ रहा परिवार बढ़ जाने से संयुक्त हिन्दु परिवार कायम रखना संभव नहीं रहा तथा प्रतिवादी सं0 1 ना केवल गलत आदतों का शिकार है बल्कि गलत लोगों के प्रभाव में आया हुआ है तथा उपरोक्त समस्त भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज होने से अब उसके मन में गलत लालच आया हुआ है तथा वह भूमि को मुंतकिल कर वादीगण को उनके हक हिस्सा से वंचित करना चाहता है, वह जिन लोगों के अनुचित प्रभाव में है वह भी प्रतिवादी सं0 1 से सस्ते में भूमि बिकवा कर स्वयं हडपने की कोशिश में है। यदि वह इसमें सफल हो गये तो वादीगण को जबरन बेदखल किया जावेगा तथा वादीगण अपने हक हिस्सा से महरूम होगें, अतः वादीगण के लिए दावा हाजा लाना व अपने अधिकारों की घोषणा करवाना आवश्यक हो गया है। वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 से बार–बार आग्रह किया कि वह वाद–पत्र की चरण सं0 3 में अंकित अराजी में वादीगण का जद्दी जायदाद होने से जन्म से हक हिस्सा होने के कारण उनको 2/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार तथा हकदार मानकर भूमि उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाये तथा बिना विभाजन करवाये किसी भूमि को रहन बैय मंतकिल करने तथा वादीगण को स्वयं अथवा अन्य किसी की सहायता से जबरन बेदखल करने से बाज व ममनु रहें, मगर वह टालमटोल करते हुए दिनांक 25.08.16 को साफ इंकारी है। अतः यही बिनाए मुखासमत है तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है।

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया–

(क) डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावें कि वाद–पत्र की चरण सं0 3 में अंकित अराजी जो कि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से चक 23 एम एल तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 81/92 में दर्ज 3.858 है0, खाता सं0 83/54 में दर्ज 0.695 है0, खाता सं0 82/93 की 4.818 है0 में से 1/2 हिस्सा तथा खाता सं0 84/91 की 3.858 हैक. कुल 10.818 हैक्टर दर्ज है, वादीगण के दादा से विरासतन मिली होने तथा इस जद्दी जायदाद की आय से बनायी होने के कारण जद्दी जायदाद होने से वादीगण का प्रति० सं०1 के साथ बहिस्सा बराबर होने से वह 2/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार व हकदार है तथा उनके नाम से उनके हिस्सा की भमि दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें। मामला लगान कायम किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

कारी (राजस्व)
गानगर

(ख) डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रति० सं० 1 इस अमर की सादिर की जावें कि वह वाद–पत्र की चरण सं0 3 में अंकित अराजी चक 23 एम एल तह0 श्रीगंगानगर के खाता सं0 81/92 में दर्ज 3.858 है0, खाता सं0 83/54 में दर्ज 0.695 है0, खाता सं0 82/93 की 4.818 है0 में से 1/2 हिस्सा तथा खाता सं0 84/91 की 3.858 हैक. कुल 10.818 हैक्टर दर्ज है, में से वादीगण के 2/3 हिस्सा के कब्जा काश्त, बारी पानी, उपयोग उपभोग में स्वयं अथवा अन्य किसी की सहायता से जबरन बेदखल करने, बिना विभाजन करवाये किसी भूमि को रहन बैय मुंतकिल करने से बाज व ममनु रहें।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावें।

(घ) अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के हित में हो वह भी प्रदान किया जावें।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आपसी सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि वादी द्वारा वाद सही तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है और वादीगण को 2/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है तो मुझ मिकर को कोई ऐतराज नही हैं और ना ही भविष्य में कोई ऐतराज करुगा। मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में अंकित कृषि भुमि 22 एम. एल. मिकर के पिता से आई हुई है एवं उक्त कृषि भूमि की आय से संयुक्त हिन्दू खानदान में खरीद की हुई है। इस प्रकार उक्त कृषि भुमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादीगण का जन्म से हक एवं हिस्सा बनता है।

प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार राज द्वारा दिनांक 18.09.2019 से स्टेट जवाब पेश किया गया। मुताबिक स्टेट जवाब "राज्य हित को ध्यान में रखते हुए वाद का निर्णय किया जाना उचित होगा"।

बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई। वाद के समर्थन में वादी द्वारा अपने पिता महेन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह के नाम की जमाबंदी सम्वत् 2069–2072 खाता संख्या 81/92 ग्राम 23 एमएल पटवार हल्का लट्ठांवाली एवं श्री गुरबचन सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह की जमाबंदी सम्वत् 2061–2064 ग्राम 23 एमएल पटवार हल्का लट्ठांवाली की जमाबंदी पेश की। उक्त दोनों जमाबंदी में भूमि वादी के पिता महेन्द्रसिंह के नाम एवं महेन्द्रसिंह को गुरबचनसिंह से प्राप्त होने से भूमि का विरास्तन होना सिद्ध होता है। वाद के समर्थन में वादी संख्या 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य शथप पत्र पेश किये जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 अपने पुत्रों के नाम अपनी स्वेच्छा से भूमि का 2/3, 2/3 भाग राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहता है जिसके लिए वादीगण एवं प्रतिवादीगण के द्वारा सहमति जाहिर की गई एवं राजीनामा पेश किया जा चुका है एवम् वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य किसी प्रकार का आपसी प्रतिवाद नहीं है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आपसी सहमति एवं राजीनामा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम से चक 23 एम एल तह0 श्रीगंगानगर के खाता सं0 81/92 में दर्ज 3.858 है0, खाता सं0 83/54 में दर्ज 0.695 है0, खाता सं0 82/93 की 4.818 है0 में से 1/2 हिस्सा तथा खाता सं0 84/91 की 3.858 हैक. कुल 10.818 हैक्टर जद्दी जायदाद होने से वादीगण को प्रति० सं०1 के साथ बहिस्सा बराबर 2/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 09.01.2020 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh
Ratnu
Date: 2020.02.07 17:11:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: